प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 एवं अध्याय 2 में 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमश: वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की जाँच में पायी गयी लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल है। आवश्यकतानुसार सूचनाएँ झारखण्ड सरकार से प्राप्त की गयी है।

3. अध्याय 3 'वित्तीय प्रतिवेदन' वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

4. निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों में लेन-देन लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सांविधिक निगमों, बोर्डों व सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा से उत्पन्न प्रेक्षण वाले प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर प्रेक्षण वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।